

प्रेस नोट दिनांक- 08.05.2026

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना फतनपुर पुलिस व स्पेशल टीम (विशेष टीम चोरी अनावरण) द्वारा सर्विलांस सेल के सहयोग से गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से संबंधित 25,000/- रुपये का इनामिया 01 अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार यादव उर्फ गुरुप्रसाद को गिरफ्तार किया गया-

इनामिया अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार यादव उर्फ गुरुप्रसाद पर जनपद प्रतापगढ़ के थाना फतनपुर में लूट, गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर अपराध पंजीकृत है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी मय हमराह उ0नि0 राजनाथ यादव, का0 अभिषेक सिंह व का0 आशुतोष तिवारी मय चालक हे0का0 सुरेन्द्र सिंह व स्पेशल टीम (विशेष टीम चोरी अनावरण) प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह मय हमराह उ0नि0 श्री विजेन्द्र सिंह, हे0का0 महेश सिंह, हे0का0 कमलेश सिंह यादव, का0 बृजेश सिंह, का0 विरेन्द्र यादव, का0 राकेश कुमार व का संजय सिंह(सर्विलांस सेल) द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 01/2026 धारा 2/3 यू.पी. गैंगस्टर एक्ट थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 25,000/- रुपये का इनामिया 01 अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार यादव उर्फ गुरुप्रसाद पुत्र गोपीनाथ यादव उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम चांदपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत हरिपालमऊ नहर पुलिया तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया ।

इनामिया अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार यादव उर्फ गुरुप्रसाद पुत्र गोपीनाथ यादव उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम चांदपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

इनामिया धर्मेन्द्र कुमार यादव उर्फ गुरुप्रसाद पुत्र गोपीनाथ यादव उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम चांदपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 09/23 धारा 392/341/411 भादवि थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 01/2026 धारा 2/3 यू.पी. गैंगस्टर एक्ट थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

थाना प्रभारी फतनपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी मय हमराह उ0नि0 राजनाथ यादव, का0 अभिषेक सिंह व का0 आशुतोष तिवारी मय चालक हे0का0 सुरेन्द्र सिंह थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

स्पेशल टीम (विशेष टीम चोरी अनावरण) प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह मय हमराह उ0नि0 श्री विजेन्द्र सिंह, हे0का0 महेश सिंह, हे0का0 कमलेश सिंह यादव, का0 बृजेश सिंह, का0 विरेन्द्र यादव, का0 राकेश कुमार व का संजय सिंह(सर्विलांस सेल)।

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

अवैध तमंचा व कारतूस सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी जनपद प्रतापगढ़ एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज जनपद प्रतापगढ़ के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना उदयपुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए एक अभियुक्त को अवैध असलहा व कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 08.05.2026 को थाना उदयपुर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त अनीश वर्मा पुत्र त्रिभुवन कुमार वर्मा निवासी ग्राम नया पुरवा मजरे बेलहा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

बरामदगी के आधार पर थाना उदयपुर पर मु0अ0सं0 90/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी। अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

बरामदगी विवरण :-

01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर

01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त :-

01. अनीश वर्मा पुत्र त्रिभुवन कुमार वर्मा निवासी ग्राम नया पुरवा मजरे बेलहा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :-

उ0नि0 संजय यादव, का0 विधि चन्द्र, का0 गिरजाशंकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़

थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मान्धाता पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त, सूर्य प्रकाश पाल को किया गया गिरफ्तार-

प्रतापगढ़।

वादी निवासी रामपुर खुर्द थाना जेठवारा प्रतापगढ़ कि पुत्री की शादी लगभग 04 वर्ष पूर्व सूर्य प्रकाश पाल से हुई थी। विवाह के बाद से पति-पत्नी में विवाद होता था तथा दहेज की मांग की जा रही थी। दिनांक 06.05.2026 की रात्रि को पुत्री की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें फांसी लगाने की बात बताई गई है। इस संबंध में थाना मान्धाता में मु0अ0स0 45/26 धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 DP ACT बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मांधाता श्री अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अरविन्द कुशवाहा मय हमराह हे0का0 वीरेन्द्र यादव, का0 आनन्द यादव व म0का0 रचना चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत मु0अ0स0 45/26 धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 DP ACT थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त 01.सूर्य प्रकाश पाल पुत्र रामकिशन पाल निवासी मान्धाता वार्ड न0 02 थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत हरखपुर गेट नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सूर्य प्रकाश पाल पुत्र रामकिशन पाल निवासी मान्धाता वार्ड न0 02 थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अरविन्द कुशवाहा मय हमराह हे0का0 वीरेन्द्र यादव, का0 आनन्द यादव व म0का0 रचना चौहान थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा “अपहरण” के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त अनुज मौर्या को किया गया गिरफ्तार -

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत कोराली मोड नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी नवाबगंज के नेतृत्व में उ0नि0 मुकेश सिंह परिहार मय हमराह उ0नि0 शिशिर पटेल, रि0म0का0 पिंकी वर्मा द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 44 / 2026 धारा 87 बीएनएस थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त अनुज मौर्या पुत्र लल्लन मौर्या निवासी शेख का पुरवा परियावाँ थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत कोराली मोड नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अनुज मौर्या पुत्र लल्लन मौर्या निवासी शेख का पुरवा परियावाँ थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 मुकेश सिंह परिहार मय हमराह उ0नि0 शिशिर पटेल, रि0म0का0 पिकी वर्मा थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।